कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 604　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　निर्णय दिनांक:- 15-06-18

अन्तर्गत धारा 111–128 आरटीए

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री गेमा पि० धावडा

जति भील उम्र व्यस्क नि० वस्सीखाल तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत वस्सीखाल दिनांक 15-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा वस्सीखाल पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या 353 पर आराजी नं० 450 कुल — बीघा. 14 बिस्वा किता 1 योग रकबा 14 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी [illegible] नि० [illegible] ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम वस्सीखाल के खसरा नं० 451 रकबा — बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 12 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा वस्सीखाल में स्थित खाता संख्या 353 पर आराजी नं० 450 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 14 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा वस्सीखाल मे स्थित खाता संख्या 353 पर आराजी नं० 450 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 14 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक डी.डी. मोरिया के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 250/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर